राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 112 / 2021

1. अन्तर बाई पत्नी सागर सिंह
2. रामसिंह पुत्र सागर सिंह
3. विक्रम सिंह पुत्र सागर सिंह
4. विक्रम सिंह पुत्र सवाई सिंह
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र सवाई सिंह
7. रमेश कंवर पत्नी रतन सिंह पुत्रवधु सवाई सिंह
8. विनोद सिंह पुत्र रतन सिंह नवीरा सवाई सिंह
9. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह नवीरा सवाई सिंह
   जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

**ब–ना–म**

1. कुन्ज कंवर पत्नी स्व. वस्तु सिंह
2. उगम सिंह पुत्र स्व. वस्तु सिंह
   जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

**दावा–घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती**

**एवं खाता विभाजन**

**उपस्थित अधिवक्ता :–**

1. श्री गिरधारी लाल सैनी :– वादीगण की ओर से
2. श्री प्रताप सिह तंवर :– प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से

**दिनांक 08–07–2022**

**:: निर्णय ::**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत ख.नं. 230 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में वादी सं. 1 लगायत 3 के पति/पिता सागर सिंह एवं वादी सं. 4 लगायत 6 के पिता व वादी सं. 7 लगायत 9 के ससुर/दादा सवाई सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पति/पिता एवं रामकुवार सिंह पुत्र माल सिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज [illegible] थी और मौके पर भी इसी अनुसार काबिज काश्त थे और हैं। उक्त वर्णित [illegible] राजस्व रिकार्ड संवत् 2029 की जमाबन्दी में गत ख.नं. 230 के बटा[illegible] 230/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 [illegible] संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गई और गत ख.नं. 230/2 रकबा 6 बिस्वा भूमि रामकुव[illegible] सिंह पुत्र माल सिंह के नाम से अलग दर्ज हो गई। दौराने पैमाईश गत ख.नं. 230/1, [illegible] के हाल ख.नं. 433 रकबा 0.13 है., ख.नं. 811/434 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है बनें

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 433, 811/434 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है. में वादी सं. 1 लगायत 3 के पति/पिता का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 4 लगायत 6 के पिता व वादी सं. 7 लगायत 9 के ससुर/दादा का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पति/पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया क्योंकि यह भूमि सागर सिंह, सवाई सिंह, वस्तु सिंह की बहिस्सा बराबर–बराबर संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमें 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था और मौके पर भी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 इसी अनुसार काबिज काश्त उनके पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं। राजस्व ग्राम मानोता जाटान से नया राजस्व ग्राम ढाणी बाढा बना इसलिये यह वाद वर्णित भूमि ढाणी बाढा में है। ग्राम ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 192 के ख.नं. 433, 811/434 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है. में वादी सं. 1 लगा. 3 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 4 लगायत 9 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का काश्तकार घोषित करवाने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है। खातेदार वस्तु सिंह पुत्र गाहड सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश प्रतिवादी सं. 1 व 2 है, खातेदार सवाई सिंह पुत्र प्रभू सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश वादी सं. 4 लगा. 9 है। भूमि में सुधार कार्य करने व ऋण आदि लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 192 में दर्ज ख.नं. 433 रकबा 0.13 है., ख.नं. 811/434 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है. में वादी सं. 1 लगा. 3 को 1/3 हिस्से की भूमि का, वादी सं. 4 लगा. 9 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रिकार्ड राजस्व मे अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का दर्ज 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व को दुरूस्त किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) ग्राम ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 192 में दर्ज ख.नं. 433 रकबा 0.13 है., ख.नं. 811/434 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है. में वादी सं. 1 लगा. 3 के 1/3 हिस्से की भूमि का व वादी सं. 4 लगा. 9 के 1/3 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता कायम किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र के मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2 को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने पर हम सहमत हैं।

प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2029 (प्रदर्श–1), जमाबंदी संवत् 2075–2078 मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2), जमाबंदी (प्रदर्श–3) ग्राम [illegible] (प्रदर्श–4) ग्राम ढाणी बाढा पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र की खण्ड सं. 1 में अंकित किया है कि भूमि गत् ख.नं. 230 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारियों की खातेदारी में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

रिकार्ड रही है। परन्तु वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है कि भूमि गत ख.न. 230 उनके हकपूर्वाधिकारियों के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श–1) में ख.नं. 230/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा बस्तु सिंह पुत्र गाहड सिंह, सागर सिंह, सवाई सिंह पि0 प्रभूसिंह राजपूत सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) के अनुसार गत ख.नं. 230, 230/1 से हाल ख.नं. 433, 811/434 ग्राम नानोता जाटान निर्मित हुए हैं। इस प्रकार गत ख.नं. 230 का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अर्थात् 0.38 है. था जो हाल में निर्मित खसरा नंबर 433, 811/434 कुल रकबा 0.31 है. है जो गत खसरा नंबर से 0.07 है. कम है। लेकिन वादीगण की ओर से पत्रावली में संवत् 2029 से पूर्व व उसके बाद की निरन्तर जमाबंदिया पेश नहीं की है, केवल वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 ग्राम ढाणी बाढा (प्रदर्श–4) पेश की है इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अभाव में वाद वादीगण साबित नहीं होता है। अतः वाद वादीगण खारिज योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

### उनवान

1. अन्तर बाई पत्नी सागर सिंह
2. रामसिंह पुत्र सागर सिंह
3. विक्रम सिंह पुत्र सागर सिंह
4. विक्रम सिंह पुत्र सवाई सिंह
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र सवाई सिंह
7. रमेश कंवर पत्नी रतन सिंह पुत्रवधु सवाई सिंह
8. विनोद सिंह पुत्र रतन सिंह नवीरा सवाई सिंह
9. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह नवीरा सवाई सिंह
   जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

### ब–ना–म

1. कुन्ज कंवर पत्नी स्व. वस्तु सिंह
2. उगम सिंह पुत्र स्व. वस्तु सिंह
   जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
   जाति राजपूत जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **112/2021**

निर्णय दिनांक :– **08–07–2022**

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से **श्री प्रताप सिंह तंवर एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–07–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

**"अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।"**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08–07–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी